न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /34/2022

प्रेम सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति जाट निवासी धौरमुई तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर दिनांक 23.12.2021

उपस्थित :–
1–श्री विमलसिंह , अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार उपस्थित,

निर्णय

दिनांक 03.07.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 23–12–2021 नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 692/0.05 किस्म गै0 मु0 चाह ग्रांम घौरमुई से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई एवं रेस्पो की तलबी की गई। तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 692/0.05 पर पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चला आरहा है। विवादित आराजी की भूमि किस्म गैर मुमकिन चाहा है, उक्त रकवे पर प्रार्थी कृषि सिंचाई हेतु निजी बोंरिक लगाया हुआ है, जिससे अपीलान्ट स्वयं की आराजी व आस पास के अन्य काश्तकारों की खेती की सिंचाई होती है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी खसर नम्बर 692/0.05 के चारों ओर चिपटवॉ अपीलान्ट स्वयं के खसरा नम्बर 690/0.11,691/0.05, 705/0.25 एवं अपीलान्ट की पत्नी विरमा

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

देवी की खातेदारी नम्बरा 660/0.24, 662/0.11, 663/0.15, 694/0.19, 695/0.11 तथा 703/0.07 आराजी स्थित है। विवादित आराजी भूमि किस्म गेर मुमकिन चाह है, उक्त स्ट्रीप आफ लेन्ड की परिभाषा में आती है, अपीलान्ट विवादित आराजी को Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules 1970 के नियम 19 के तहत आबन्टन /नियमन कराने का हकदार रहता है। तहत न्यायालय को विवादित भूमि स्ट्रीप आफ लेन्ड होने के नाते धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। तहत न्यायालय को विवादित आराजी को अबांटन/नियमन किये जाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर विवादित आराजी को आबंटन/ नियमन की जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने राजकीय आराजी पर कुंआ एवं ढेंचा की फसल बोकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी के आधार नायव तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 692 रकवा 0.05 हे0 किस्म भूमि गै0मु0 चाह जिस पर अपीलान्ट ने सिंचाई के लिये कुआं बना हुआ है, ट्यूबैल से आस पास खेतों की सिंचाई होना अपीलान्ट जाहिर करता है। जहॉ तक प्रश्न स्ट्रीप ऑफ लेन्ड का है यह जांच का बिन्दू है। अतः प्रकरण को जांच हेतु नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules 1970 के नियम 19 के परिप्रेक्ष्य में जांच करें तथा अपीलान्ट को सुनवाई को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03–07–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर